विधानसभा प्रश्न से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट 'अट्ठाईस'
प्रश्न सं. [क्र. 5831]

परि. 73
[27/3/2018]

(25)

कार्यालय, स्पेशल टास्क फोर्स, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक–समनि/एसटीएफ / 5-19 /2018, भोपाल दिनांक : 20/03/2018

प्रति,

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्य प्रदेश भोपाल

विषयः– विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 5831 दिनांक 21.03.2018 के संबंध में जानकारी बाबत्।

संदर्भः– कमांक/स्था.1/सत/सी/वि.स./बजट सत्र/78/2018487 भोपाल दिनांक 16.03.2018।

---000---

विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक 5831 के प्रश्नांश (क) भाग में क्या प्रकरण में एसटीएफ पुलिस करीब साढे चार वर्ष उपरांत अंतिम चालान पेश कर पाई है ? के संबंध में जानकारी चाही गई है। तत्संबंध में लेख है कि थाना एसटीएफ भोपाल के अपराध कमांक 09/2013 में लोक शिक्षण संचालनालय अंतर्गत टाईपिंग बोर्ड में पदस्थ आरोपी अधिकारियों एवं कर्मचारियों सुभाष पाचपोर, विजय कुमार राम, संजय अवस्थी, विजय सिंह लोधी, संजय श्रीवास्तव तथा दमयंती गेहलोत के विरूद्ध दिनांक 24.01.2014 को चालान कमांक 02/2014 तैयार किया जाकर दिनांक 27.01.2014 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आरोपिया श्रीमती आशा जादौन के विरूद्ध दिनांक 02.06.2016 को चालान कमांक 2बी/2016 तैयार किया जाकर दिनांक 10.06.2016 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आरोपी परीक्षार्थियों तथा मध्यस्थों के विरूद्ध अनुसंधान निरंतर है।

यह सही नहीं है कि, एसटीएफ द्वारा साढे चार वर्ष उपरांत चालान प्रस्तुत किया है, वरन आरोपियों के विरूद्ध संबंधित विभागों से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर ढाई वर्ष में चालान पेश किया गया है।

वांछित जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

E1/पत्र/438
20.3.18

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(कक्ष - 4)

(सुनील कुमार शिवहरे)
सहायक पुलिस महानिरीक्षक
एसटीएफ मुख्यालय भोपाल
म0प्र0